



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर

Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस. ई. बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 2351427

फैक्स / Fax : 91-141 - 4026465

ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

No.NHA/JPR/GKJ/Forest/2021/1055

Date: 19.08.2021

District Forest Officer
Alwar.

23

Sub:- Diversion of 2.852 Ha. Forest land for construction of Toll Plaza between Km. 115.00 to Km. 116 at Delhi-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

- Ref. i.) This office letter no. 281 dated 29.04.2019
ii.) Your office letter no. 5653 dated 11.08.2021

Sir,

With reference to above subject matter, in compliance of point no. (1) this office vide letter dated 29.04.2019 (Annex-1) has already submitted the detailed reply on the violation issue. The same was considered by CCF office and accepted for submission of fresh proposal as per circular of GOI dated 21.05.2018. Through above said letter it was mentioned that in 2009 PIU-Kotputli is merged in PIU-Jaipur and no letter is being received in PIU-Jaipur till 02.03.2015. At present, in this office, there is no action in progress against any officer for the raised violation.

Therefore, it is requested to consider submission of PIU made through letter dated 29.04.2019 and process the proposal accordingly.

(Ajay Arya)
Project Director

Copy to: CGM(T)/RO, NHAI, Jaipur for kind information please.



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर
ज्योतिरावफुले सर्किल के पास, नयाबारा, अलवर (राज0) - 301001



क्रमांक : एफ18(63)एफसीए/उपसं-अल./2021/5653

दिनांक : 11/3/2021

प्रेषित:-

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भ:- Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच. 8 पर चैनेज km. 115.00 to km. 116 के बीच टोल प्लाजा निर्माण हेतु एन.एच. 8 के ROW में घोषित रक्षित वन भूमि पर इस वनमण्डल अधीन 2.852 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में उच्च कार्यालय से ऑनलाईन EDS प्राप्त हुए हैं, जो निम्नानुसार:-

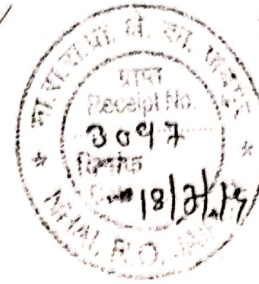
1. There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned officers.
2. Calculation of penal NPV has to be taken.
3. Ca scheme / estimate should be given site specific.

अतः उक्त प्रस्ताव में प्राप्त ऑनलाईन EDS के बिन्दु 1 की पूर्ती करते हुए इस कार्यालय को भिजवायें ताकि प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा सके।

भवदीय,

(ए.के. श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर

परियोजना निदेशक
NHAI, परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
D-148, RSEB सब स्टेशन के पीछे,
वैशाली नगर, जयपुर-302021



Handwritten notes: 'Gupta-J', 'PD Jaipur', 'My', 'JAO', 'rel', 'se', 'P'.

विषय:- दिल्ली-जयपुर रोड एनएच-8 के कि.मी. 115 से 116 के मध्य नया टोल
प्लाजा बनाने के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का सम संख्यक पत्रांक 1705 दि. 23.5.19 एवं आपका
पत्रांक 669 दिनांक 06.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दि. 23.5.19 का अवलोकन
करे। जिससे आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार के परिपत्र दि. 21.05.2018 के अनुसार Fresh
Proposal Submit करने बाबत लिखा गया था।

चूंकि आप द्वारा अपने संदर्भित पत्र दि. 06.06.2019 से अवगत कराया है कि
प्रकरण में Fresh Proposal तैयार कर अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है। अतः आप
प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर इस कार्यालय को अवगत करावे, ताकि अग्रिम
कार्यवाही की जा सके।



भवदीय

(राजेश कुमार जैन)

मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ 14(एन.एच.)2007 / एफसीए / प्रमुखसं / 2499-2501 दिनांक 11.7.19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक 1706-10 दि. 23.5.19 के क्रम में
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. चीफ जनरल मैनेजर (टेकनीकल) कम रीजनल ऑफिसर, राजस्थान, भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान) एफ-120, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर
-302019
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, अलवर।

(गणेश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

No. NHAI/14017/1/2019-Road/1447 Date: 18/7/19
Forwarded to PDV-Jaipur for further needful action.

Handwritten signature and date: 18/7/19

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर

Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर.एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141-2351427

फैक्स / Fax : 91-141-4026465

ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

क्रमांक: 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन विभाग/एमकेएस/2019/281

दिनांक 29.04.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., जयपुर

विषय:-दिल्ली - जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 118 के मध्य नया टोल प्लाजा के निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान् आपके पत्र दिनांक 11.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में मुझे निम्नानुसार अवगत कराना है कि:

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र संख्या 677 दिनांक 08.09.2009 (संलग्नक-1) के द्वारा जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 118 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी, जिन शर्तों की पालना भाराराप्रा द्वारा की जानी थी।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.2009 (संलग्नक-2) के कम में जारी की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि 2.85 हेक्टेयर वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हेक्टेयर वन भूमि में सम्मिलित है एवं उक्त वन भूमि में से मात्र 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में यह उल्लेखित किया है कि उक्त टोल प्लाजा 2 वर्ष पूर्व अर्थात् 2007 से शुल्क संग्रहण का कार्य किया जा रहा है अर्थात् वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व ही हो गया था। अर्थात् सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात् वन संरक्षण अधिनियम का कोई भी उल्लंघन भाराराप्रा स्तर से नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त इस प्रकरण में अवगत कराना है कि पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोटपूतली का कार्यालय बिलासपुर में था एवं आपके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण हेतु जितने भी पत्राचार किये गये सभी कोटपूतली कार्यालय को किये गये परन्तु दिनांक जुलाई 2009 (संलग्नक-3) में कोटपूतली इकाई का जयपुर इकाई में विलय कर दिया गया था। इस कारण उक्त पत्र एवं उसके बाद के सभी पत्र परियोजना प्रबंधन इकाई, कोटपूतली में जाते रहे परन्तु इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। प्रथम बार आपके पत्र दिनांक 02.03.2015 (संलग्नक-4) के माध्यम से उक्त प्रकरण की जानकारी इस कार्यालय को हुई, जिसके कम में इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2015 (संलग्नक-5) के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ का पत्र दिनांक 08.09.2009 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिससे यह कार्यालय सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों से भिन्न होकर उनकी पालना करता।

4. परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पत्र के कम में सूचना प्राप्त नहीं होने पर इस कार्यालय के प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उप वन संरक्षक, अलवर एवं आपके कार्यालय से सम्पर्क करके इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार की प्रतियाँ प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियारत थी परन्तु इसी बीच माह जुलाई 2015 (संलग्नक-6) में निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही इस कार्यालय द्वारा पत्र

दिनांक 09.09.2015 (संलग्नक-7) के द्वारा पूर्व पत्र इस कार्यालय को नहीं मिलने के कारण उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का परिपालन नहीं होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए आपसे पुनः अनुरोध किया गया था कि उक्त वर्णित सैद्धान्तिक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुनर्विचार करते हुए इस कार्यालय को उक्त शर्तों का पालन करने हेतु अनुमति दी जाए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार अनुरोध करना है कि:

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा जारी की गई सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 08.09.2009 एवं उसके बाद के पत्र भाराराप्रा के कार्यालय का स्थान परिवर्तन होने के कारण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हो पाई जिसके कारण सैद्धान्तिक सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा सका।
2. चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण का कार्य 2007 से ही चल रहा था जैसा कि आपके पत्र दिनांक 08.09.2009 में वर्णित है बाद में वन संरक्षण अधिनियम का इस कार्यालय द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा वर्ष 1996 में अपने पत्रांक 8-103/95-एफसी दिनांक 21.06.1996 (संलग्नक-8) के द्वारा 96 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के चारलेनीकरण हेतु किया गया था। कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण केन्द्र बनाने हेतु आवश्यक भूमि 2.58 हैक्टेयर भी पूर्व में प्रत्यावर्तित भूमि का भाग है, कई स्तरों पर काफी पत्राचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मात्र 240 वर्गमीटर (जिसमें शुल्क संग्रहण केन्द्र बनना था) का भूमि उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आपको अवगत कराना है कि शुल्क संग्रहण केन्द्र को निर्माण भी मार्ग निर्माण का ही भाग होता है, जैसा कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में भी उल्लेखित है (संलग्नक-9) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहण (भारत सरकार राजस्व) का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा था वह यही मानकर किया जा रहा था कि शुल्क संग्रहण का कार्य भी मार्ग निर्माण का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी भी नियम का उल्लंघन करने का उद्देश्य नहीं रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृपया दिनांक 15.07.2015 द्वारा किये गये निरस्तीकरण आदेश पर पुनर्विचार करते हुए इस कार्यालय को यथोचित निर्देश देने की कृपा करे, जिससे इस प्रकरण को अन्तिम रूप दिया जा सके, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (संलग्नक 1 से 9)

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई जयपुर।

प्रतिलिपि: मुख्य महाप्रबंधक (तक.) / क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, जयपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से प.का.ई द्वारा वर्णित तथ्यों से अवगत कराते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ को सैद्धान्तिक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुनर्विचार करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., जयपुर से अनुरोध करने की कृपा करें।